न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 884–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 396/अपील/2001–01.

बाबूलाल तनय गिरजाप्रसाद
यनिवासी कोठी तहसील नागोद जिला सतना
मृत वारिश–
अ. महेन्द्र
ब. शिवकुमार
स. बालकृष्ण पुत्रगण स्व0 बाबूलाल
द. शकुन्तला पुत्री स्व0 बाबूलाल
ई. मुननी पुत्री स्व0 बाबूलाल
सभी निवासी हाल पता कोठी तहसील नगौद
जिला सतना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1.श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री गिरजा प्रसाद
पत्नी रामकृपाल जरिए मुख्तारआम
बेदव्यास तनय रामकृपाल
निवासी ग्राम इचौल हाल मुकाम ग्राम डीडी
तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
2. इंदिका प्रसाद तनय गिरजा प्रसाद
निवासी हाल पता कोठी तहसील नगौद
जिला सतना म0प्र0
3. श्रीमती ललिता पुत्री गिरजाप्रसाद
पत्नी रामेश्वर प्रसाद तिवारी
ग्राम बम्हौरी जैतवारा तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0
4. रामावतार तनय रामदत्त
निवासी ग्राम कोठी तहसील नगौद, जिला सतना म0प्र0
5. रामधनी तनय दौलतराम
निवासी ग्राम कोठी तहसील नगौद, जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 29–4–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार उचेहरा जिला सतना के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश कर ग्राम कोठी की अपने संयुक्त परिवार की भूमि के बटवारा किये जाने का अनुरोध किया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 11–7–86 को आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 124/अ–27/अपील/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 28–4–93 के द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण में पक्षकारों को स्वत्व के विनिश्चयन हेतु 3 माह का समय देते हुये प्रावधानों के अनुसार विभाजनक की प्रकिया करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। प्रत्यावर्तन के पश्चात नायब तहसीलदार उचेहरा ने आदेश दिनांक 11–10–96 के द्वारा बटावारा आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभाीय अधिकारी नागौद के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–11–2001 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 29–4–2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–10–96 स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषकों ने रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया। शेष अनावेदकों के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के 3 माह के लिये कार्यवाही स्थगित करते हुये प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये थे जिसपर नायब तहसीलदार ने 3 माह तक कार्यवाही स्थगित रखने के उपरांत विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। नायब तहसीलदार ने हल्का पटवारी से पुल्ली तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये। हल्का पटवारी ने बटवारा पुल्ली तैयार की गई थी जिसपर किसी सहखातेदार कोई आपत्ति नहीं थी। कृषि भूमियों की उत्पादकता एवं किस्म पर ध्यान देकर बटवारा किया गया था। नायब तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया था उसमें सभी वैधानिक उत्तराधिकारियों को उनके हक के अनुसार भूमि बटवारे में प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी ने मनमाने ढंग से नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर पुनः प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। इसलिए जब अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने विधिवत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को संहिता के प्रावधानों के अनुरूप पाते हुये स्थिर रखा है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुये निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 29–4–2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर